बीस रुपये TWENTY RU... | Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

85

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग/3431/I/15

प्रकरण क्र. /2015 निगरानी

मोहम्मद मुस्तफा पुत्र स्व. श्री सिकंदर खॉ
निवासी–बी.एम.कॉलेज के पास, पेडी खाई
रोड, तहसील व जिला विदिशा म.प्र

श्री लखन सिंह धाकड़ एड. को द्वारा आज दि. 23/10/15 प्रस्तुत
23-10-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... **आवेदक**

बनाम

1. जुवेदा बी पत्नी स्व.श्री गुलाम मकसूद
2. मुख्तार खॉ पुत्र स्व.श्री गुलाम मकसूद
3. सिददीक अहमद पुत्र स्व. श्री सिकंदर खॉ
   निवासीगण–बजरिया, तहसील व जिला
   विदिशा म.प्र.
4. हाजिरा बेगम पुत्री सिकंदर खॉ पत्नी मेहबूब (मृत)
   खॉ निवासी–गिरधर मार्केट,बस स्टैण्ड
   शमशाबाद जिला विदिशा म.प्र.
5. जाहिदा बी पुत्री सिकंदर खॉ पत्नी स्व. साविर
   खॉ निवासी– कच्ची मस्जिद के पास रायसेन
   म.प्र.
6. मोहम्मद अयूब खॉ पुत्र गुलाम रऊफ निवासी
   –इंद्रानगर पुलिस चौकी के पीछे, जलामपुरा ,
   भोपाल म.प्र.
7. मोहम्मद कयूम खॉ पुत्र गुलाम रऊफ निवासी
   – ग्राम सतपाडा, तहसील व जिला विदिशा
   म.प्र.

.... **अनावेदकगण**

23.10.15
(Lakhan Singh Dhakad)
Adv.

4– अनावेदिका क्र 4 हाजिरा बेगम की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान इस प्रकार है।
(अ) मो. रईस पुत्र मेहबूब खान
(ब) मो. आसिफ खान पुत्र मेहबूब खान निवासीगण- गिरधर मार्केट, बस स्टैण्ड शमशाबाद, जिला विदिशा
(स) श्रीमती रुबीना अजम पत्नी मो. रिजवान खान पुत्री मेहबूब खान निवासी- सेक्टर 15 पार्ट- II गुड़गांव

माननीय न्या. के आदेश दिनांक 22/06/16 के पालन में संशोधन किया गया है
03/08/16

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय विदिशा के प्रकरण क्र. ~~04/अ–6/12–13~~ 128/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित कृषि भूमि सर्वे क्र. 375 रकवा **3.344** हैक्टर, सर्वे क. 384 रकवा 2.606 हेक्टेयर भूमि ग्राम अमाछावर, तहसील व जिला विदिशा मे स्थित है। जिस पर आवेदक, एवं अनावेकगण क. 4 लगायत 7 का सहमति से परिवार के सदस्य व अपीलांट/अनावेदकगण की ज्ञान व में परिवार के सदस्यों की सहमति देकर अयूब, रईसा वेगम, कयूम, आदि अन्य व्यक्तियों के ज्ञान व जानकारी में विधिवत नामांतरण, उक्त विवादित भूमि पर नामांतरण पुजी क. 6 आदेश दिनांक **20.05.06** से आवेदक एवं अनावेदकगण क. 4–7 के नाम नामांतरण हो गया था। जिसके विरूद्व किसी के द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई। किन्तु अब अनावेदक क.1 लगायत 3 नीयति में बदयांति आ गई है इस कारण अनावेदकगण क. 1 लगाायत 3 के द्वारा 8 वर्षों से भी अधिक के विलंब से अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय विदिशा के समक्ष दिनांक 15.07.14 को अपील प्रस्तुत की गई ।

2. यह कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि का सिविल दावा अपीलाथी/अनावेदक द्वारा सिविल न्यायालय विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका प्र.क. 48ए/2004 दीवानी है । यह दावा भी उन्ही तथ्यों के अधार पर पेश किया गया जो दिनांक 26.02.05 को निरस्त किया जा चुका है । किन्तु फिर भी अनावेदकगण क 1–3 के द्वारा नामांतरण पंजी क. 6 आदेश दिनांक 20.05.06 के विरूद्व अपील 8 वर्षों से भी अधिक के लंम्बे विलंब से अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय विदिशा के समक्ष दिनांक 15.07.

XXIX(a)-BR(H)-11

(85)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3431-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक कीं ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	